षड़यंत्र का पहला चरण नीचे लिखे अनुसार है :

कलकत्ता के प्राण गोपाल बर्मन ने अपनी पुत्री को सन् 1994 में इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के संरक्षण में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए भर्ती किया, जैसे बहुत-से अन्य माता-पिताओं ने भी अपनी कन्याओं को भर्ती किया है। परंतु विरोधी दल के प्रभाव में आकर प्राण गोपाल ने उनसे विशाल धनराशि ले ली और उसके बदले में अपनी पुत्री कुमारी कोनिका को उस विरोधी दल को समर्पित करने की योजना बनाई। अपनी सौतेली माँ द्वारा सही समय पर सावधान किए जाने पर कुमारी कोनिका बर्मन ने उनकी योजना विफल कर दी और उनका आदेश मानने से इन्कार कर दिया।

We shall now revert to the vicious sequence of Conspiracies ignited by the "Opposition Group".

The 1st Phase of the Conspiracy: Konika Berman:

Mr. Pran Gopal Varman of Calcutta has admitted his daughter at this Vishwa Vidyalaya during 1994 for acquiring Ishwariya knowledge under the auspices of "AVV family” as number of other parents did. Having got influenced and fuelled by the group of ten, he planned to get his daughter Miss. Konika Berman surrendered to the "Opposition Group" against receipt of huge money. Having got warned by her stepmother at right time, Miss. Konika Berman has foiled his plan and refused to obey his order.

तब गुस्से में आकर प्राण गोपाल बर्मन ने विरोधी दल की मदद से एस.डी.एम., कायमगंज के सामने कोनिका को नाबालिग़ बताते हुए उसको आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के मुखिया जनों द्वारा बंधक बनाए जाने का आवेदन पत्र झूठे प्रमाण-पत्र के साथ पेश किया। श्री प्राण गोपाल बर्मन और उसके साथी विरोधी दल को एस.डी.एम., कायमगंज से सर्च वॉरंट का आदेश प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। अंततः कुमारी कोनिका बर्मन को ता.7-04-1998 को नारी निकेतन, इटावा में भेजने का निर्देश दिया गया। ऐसा इसलिए हो सका; क्योंकि षड़यंत्र के तहत कोनिका बर्मन की 22 वर्ष की वास्तविक आयु के स्थान पर 16 वर्ष का फ़र्ज़ी आयु प्रमाणपत्र कोर्ट में पेश किया गया।

Having enraged by the reciprocal situation, Mr. Pran Gopal Berman in hands with the "Opposition Group" has lodged a complaint that his daughter was illegally detained by the senior members of the "AVV". Mr. Pran Gopal varman in hands with the "Opposition Group” has succeeded in getting an order of Search warrant from S.D.M., Kayamganj. Ultimately, Miss. Konika varman was directed to Nari

Niketan, Itawa from 7.04.1998 onwards. This could be made possible by showing a false certificate of age as 16 years instead of her correct age of 22 years.

वयस्क होते हुए भी कोनिका को 2 महीने के लम्बे समय तक नारी निकेतन में उसकी इच्छा के विरुद्ध पीड़ा सहन करनी पड़ी। जब तक उसके चिकित्सा प्रमाणपत्र और उसके मूल आयु प्रमाणपत्र ने यह साबित नहीं किया कि वह एक अवयस्क नहीं; अपितु वयस्क है, तब तक निर्दोष कन्या इटावा के नारी निकेतन में आतुरता से स्वतंत्रता की प्रतीक्षा करती रही। परंतु स्वयं न्यायपालिका को भी विभ्रांत करने वाली बात यह है कि कम आयु की बात को लेकर कोनिका बर्मन को उसकी इच्छा के विरुद्ध नारी निकेतन भेजा गया। यह एस.डी.एम. कायमगंज की गलती नहीं; अपितु नेपथ्य में आर्थिक रूप से प्रभावित मीडिया द्वारा किए गए झूठे प्रचार-प्रसार व विरोधी दल के सुनियोजित षड़यंत्र की शक्ति है।

Despite being a major girl, Konica had to suffer hardships at Nariniketan for a period of 2 months for no fault of her. The innocent girl eagerly waited for freedom till the medical certificate in addition to her original date of birth certificate has thrown evidence that she is a major but, not a minor. But, to the surprise of the judiciary itself, her release was not affected immediately. She was held at Nari Niketan still , as if she is a minor. This is not at all the fault of S.D.M., Kayamganj; in the backdrop is the inflated spread of the false news by the media powered by the well-planned conspiracy of the "Opposition Group" behind the scene.

अंततः निर्दोष कन्या की पीड़ा ने इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश के उच्च्च न्यायालय के दरवाज़े के साथ-2 उनके दिल को भी खटखटाया। आखिर उनका निर्णय उनके दिल और कलम, दोनों से ही निकला- **''यह पाया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 के अधीन याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले के निपटाने में एस.डी.एम. को इतना लंबा समय नहीं लेना चाहिए था। उन्हें सिर्फ यह देखना था कि क्या वह कन्या 18 वर्ष की थी या नहीं, और यदि वह वयस्क थी तो उसे किसी भी बहाने कैद रखने का कोई कारण नहीं हो सकता था। हम यह मानते हैं कि संबंधित न्यायालय को कानून के अनुसार 01-06-98 को (मामला) निपटा देना चाहिए।''**

The innocent girl’s suffering could at last not only knocked the doors of the Court but also touched the heart of the Learned Judge of High Court of Judiciary at Allahabad. His Judgment from the heart as well the pen was delivered vide his order dated 26-05-98– “It is observed that the S.D.M. should not have taken such a long time to dispose of the matter as against the petitioner under section 97 Cr.P.C. He was only to see whether the girl was aged about 18 years and if she was a major;

there could be no reason to detain her under any pretext. We treat that the court concerned must dispose of the matter on 01.06.98 in accordance with law".

उच्च न्यायालय के इस फैसले के तहत कुमारी कोनिका को दिनांक 01-06-98 को नारी निकेतन से रिहा कर दिया गया। हालाँकि हम नहीं चाहते थे कि प्राण गोपाल बर्मन जिसे इस षड़यंत्र का मोहरा बनाया गया था, उनको जेल हो; लेकिन धारा 420, 467 IPC के तहत प्राण गोपाल बर्मन के खिलाफ केस दर्ज हुआ और पुलिस ने उनको स्कूल प्रिंसिपल से मिलीभगत कर फर्जी आयु प्रमाण-पत्र न्यायालय में पेश करने के अपराध में जेल में डाल दिया। इस केस से संबंधित कोर्ट जजमेंट के कुछ मुख्य भाग इसके साथ जुड़े हुए हैं।

The result was her release on 01.06.98 in response to the order dated 01-06-98 of S.D.M., Kaimganj. Pran Gopal Varman, who was made instrumental of this conspiracy, though we did not want, had to suffer imprisonment for the sins he had committed in ignorance under sections 420, 467 IPC for the charge that he has produced a faulty birth certificate in hands with the Principal of the School. Some important points of the Judgment of the court as they are, are annexed herewith.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CIVIL SIDE

ORIGINAL JURISDICTION

DATED ALLAHABAD THE : 26.5.1998

PRESENT

THE HON'BLE S.K.PHAUJDAR..............JUDGE

THE HON'BLE J.C.MISHRA...............JUDGE

H.C. CIVIL MISC.WRIT PETITION NO. 18911 of 1998

Order on the petition of Kumari Kanika Barman

In re:

Kumari Kanika Barman Adhaitimik Daughter of Baba Virendra Dixit R/o Adhatimik Ishwariya Vishwa Vidyalaya, Kample District Farrukhabad..Detenue petitioner.

Vs.

1. Nari Sarnalaya Greh (Nari Niketan) Etawah, through its Superintendent.

2. Senior Superintendent of Police Etawah. ...Respondents.

20771

BY THE COURT

In this petition the petitioner Kanika Barman (a girl) states that she is a major and has right to choose her own place of residence. It is stated that she is now being detained in a Nari Niketan at Etawah under the order of S.D.M.Kayamganj ina proceeding under Section 97 Cr.P.C. initiated by her father. It is stated that she was produced before the court onat least seven occasions and her age has already been determined medically certifying her to be a major. The learned counsel submits that the girl may be produced here and her statement be recorded and direction for her release be issued. We feel that this exercise may not be necessary and a direction otherwise be given to the concerned court. It is observed that the S.D.M. should not have taken such a long time to ~~dispose~~ dispose of the matter as against the petitioner under Section 97 Cr.P.C. he was only to see whether the girl was aged

about 18 years and if she was major there would be no reason to detain her under any pretext. We are told that the matter is fixed beforethe Magistrate on 1st June, 1998.

We direct that the court concerned or if he is absent on that date any other court before whom the matter is fixed, must dispose of the matter on 1.6.98 inaccordance with law keeping in view of the papers concerning age of the girl. The matter stands disposed of.

Dt/ 26.5.1998

sd/ S.K.Phaujdar
sd/J.C.Mishra

TRUE COPY

7-5-98

S.O.COPYING SECTION 'D'
HIGH COURT AT ALLAHABAD

P.C./-

28/5/98

6

—: फोलियो :—

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना-पत्र देने की तारीख Date on which application is made for copy accompanied by the requiste stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy.
8 20/5/05	24/6/05	1/7/05	1-7-05

WA 41500

A.K. Sharma (Adv)

A.K.B Sharma (Adv.)

10 Rs. COURT FEE INDIA TEN RUPEES CANCELLED

39

(6 पृ0)

न्यायालय सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट कासगंज।

वाद सं0 142/98

धारा 97 द0प्र0सं0
थाना- कमाल

सरकार बनाम कोनिका वर्मन

आदेश

प्रस्तुत वाद पुलिस आख्या दिनांक 6-4-98 के आधार पर धारा 97 द0प्र0सं0 के तहत तलाशी वारण्ट जारी किया गया। दिनांक 7-4-98 को कु0 कोनिका वर्मन को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया गया। कु0 कोनिका वर्मन पुत्री प्राणगोपाल वर्मन के बयान अंकित किये गये। अपने बयान में उसने अपनी उम्र 22 वर्ष बतायी एवं पिता प्राणगोपाल के साथ जाने से इनकार किया। उसने अपनी बुआ जो दिल्ली में रहती है के पास जाने की इच्छा व्यक्त की। इसी सन्दर्भ में प्राणगोपाल वर्मन पुत्र स्व0 समन्त वर्मन निवासी मौ0 श्याम नगर परगना उत्तर [illegible] कलकत्ता (प0बं0) ने अपने बयान में कहा है कि मेरी लडकी कु0 कोनिका वर्मन की उम्र 16 वर्ष है और मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ तथा उसकी शादी कर दूँगा। उक्त बयानों की भिन्नता के कारण कु0 कोनिका वर्मन को बाद चिकित्सीय उम्र परीक्षण नारी निकेतन [illegible] में भेज दिया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा कु0 कोनिका वर्मन की उम्र लगभग 18 वर्ष दर्शाई गयी। इसी के साथ उभयपक्षों द्वारा कु0 कोनिका वर्मन की उम्र के सम्बन्ध में अलग-अलग अभिलेख दाखिल किये गये।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों का भलीभांति अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि कु0 वर्मन ने अपने बयान एवं शपथ पत्र में अपनी उम्र 22 वर्ष बतायी है एवं मुख्य चिकित्साधिकारी फर्रुखाबाद ने भी बाद परीक्षण कु0 वर्मन की उम्र लगभग 18 वर्ष दर्शायी है। चूँकि कु0 कोनिका वर्मन ने अपनी बुआ जो दिल्ली में रहती है के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की है परन्तु न्यायालय की वाद पत्रावली में कु0 वर्मन की बुआ का पता का कहीं उल्लेख नहीं था इसलिये अधीक्षिका नारी निकेतन [illegible] के माध्यम कु0 वर्मन से उसकी बुआ का पता मांगा गया। कु0 वर्मन ने अपनी बुआ का पता श्रीमती संध्या दुबे पत्नी पवन दुबे निवासी खानपुर दिल्ली बताया। बाद में श्रीमती संध्या दुबे पत्नी पवन दुबे निवासी खानपुर सैनिक फार्म दिल्ली ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर अपना पूर्ण पता अंकित कराया एवं कु0 कोनिका वर्मन पुत्री प्राणगोपाल वर्मन को अपने साथ

2/---

ले जाने सम्बन्धी सहमति पत्र एवं शपथपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली पर मुख्य चिकित्साधिकारी फर्रुखाबाद की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि कु0 कोनिका वर्मा की उम्र लगभग 18 वर्ष का है एवं उसने अपने बयान में अपनी बुआ जो दिल्ली में रहती है के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की है। उसकी बुआ श्री संध्या दुबे उपरोक्त ने भी कु0 वर्मा को अपने साथ ले जाने हेतु सहमति दी है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि कु0 कोनिका वर्मा पुत्री प्राणगोपाल वर्मा जो मुख्य चिकित्साधिकारी फर्रुखाबाद की चिकित्सीय जाँच के आधार पर लगभग 18 वर्ष की है, को उसकी इच्छा के विरुद्ध न तो कहीं भेजा जा सकता और न कहीं रोका जा सकता। चूँकि कु0 वर्मा ने अपने पिता के साथ न जाकर अपनी बुआ श्रीमती संध्या दुबे पत्नी पवन दुबे के पास जाने की इच्छा व्यक्त की है अतएव कु0 वर्मा को उसके बयानों के आधार पर उसकी बुआ श्रीमती संध्या दुबे पत्नी पवन दुबे निवासी खानपुर सैनिक फार्म दिल्ली के पास भेजा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी रिट याचिका सं0 40363/96 श्रीमती राजकुमारी बनाम अधीक्षिका नारी निकेतन मेरठ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17-2-97 में यह व्यवस्था की है 17 वर्ष की आयु का व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में हित-अनहित सोच सकता है। अतः उसकी इच्छा के विरुद्ध कहीं जाने/रहने को बाध्य नहीं किया जा सकता है।

अतः कु0 कोनिका वर्मा पुत्री प्राणगोपाल वर्मा निवासी 24 परगना कलकत्ता हाल निवासी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कम्पिल को पुलिस अभिरक्षा में उसकी बुआ श्रीमती संध्या दुबे पत्नी पवन दुबे निवासी सैनिक फार्म 29 खानपुर दिल्ली के पास पहुँचाया जाय। थानाध्यक्ष कम्पिल को निर्देश दिया जाता है कि वह कु0 कोनिका वर्मा को अधीक्षिका नारी निकेतन इटावा से प्राप्त कर उसे उसकी बुआ श्रीमती संध्या दुबे पत्नी पवन दुबे निवासी खानपुर सैनिक फार्म-29 दिल्ली को सौंपकर सुपुर्दगीनामा एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय में दाखिल करें। आदेश की प्रति थानाध्यक्ष कम्पिल/अधीक्षिका नारी निकेतन इटावा/श्रीमती संध्या दुबे पत्नी पवन दुबे को प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

उप डिवीजनल मजिस्ट्रेट
कायमगंज।

दिनांक:- 1-6-98

फ़ोलियो

(1) (2)

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
30 30/10-04 Reqd Copies Judges Ktr	6 NOV 04	17-11-04	17-11-04

6/1000

COURT FEE 10 रु. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय फर्रुखाबाद।

नं0मु0 2021 /98 Case No

कोनिका बर्मन पुत्री प्राणगोपाल बर्मन निवासी आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद।

बनाम

1- प्राण गोपाल बर्मन पुत्र स्वान न्दोपर्मन निवासी राहुला पोड़ा काली मोड़ थाना जगद्दल श्यामनगर जिला 24 परगना (उत्तर) प0 बंगाल

2- डा0 जे0 विश्वास।। पत्थर रोड कलकत्ता, थाना जगद्दल, 24 परगना कलकत्ता वेस्ट बंगाल।

धारा 467, 468, 471, 182, 193, 120बी भा0द0सं0

थाना कायमगंज

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थिनी मूल रूप से श्यामनगर कलकत्ता वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। तथा वर्तमान मे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद मे आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर रही है। प्रार्थिनी की मां की मृत्यु के बाद प्रार्थिनी के पिता ने दूसरी शादी कर ली है। प्रार्थिनी के पिता प्रार्थिनी को आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद मे आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु लाये थे। और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय कम्पिल में आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु भर्ती कराया था। प्रार्थिनी उस समय बालिग थी तथा उसकी उम्र करीब 19 वर्ष की थी। प्रार्थिनी व उसके पिता ने विद्यालय मे समर्पण से पूर्व यह लिख कर दिया था कि प्रार्थिनी की उम्र 19 वर्ष है तथा अपनी मर्जी से वह शिक्षा ग्रहण कर रही

-2

कोनिका बर्मन

है।

आश्रम में रह कर प्रार्थिनी को यह मालूम पड़ा कि आश्रम के संचालक बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित की ख्याति से खिन्न होकर आश्रम के संचालक के विरुद्ध अभियुक्तगण कैलाश चन्द्र, अशोक कुमार पाहूजा, चतुर्भुज अग्रवाल तथा प्रार्थिनी के पिता प्राण गोपाल वर्मन से मिल कर षडयंत्र कर रहे हैं और एक नकल संस्था भी उन्होंने अलग से बना ली है। प्रार्थिनी को धोखे से प्रार्थिनी के पिता प्राण गोपाल वर्मन अपने उपरोक्त साथियों की मदद से दिनांक 6-2-99 को यह झूठ बोल कर कि प्रार्थिनी की दादी शरीर छोड़ने वाली है आश्रम से प्रार्थिनी को अगुवा कर ले गये। और प्रार्थिनी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उसके साथ बलात्कार का भी प्रयास किया गया जिसके संदर्भ में प्रार्थिनी द्वारा विधिक कार्यवाही भी की गयी थी। दिनांक 16-3-98 को प्रार्थिनी किसी तरह कम्पिल आश्रम आई और फिर आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने लगी। प्रार्थिनी के पिता प्राण गोपाल वर्मन प्रार्थिनी को किसी न किसी तरह प्राप्त करने तथा प्रार्थिनी का प्रयोग आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय कम्पिल के संचालक वीरेन्द्र देव दीक्षित के विरुद्ध करने के लिए उपरोक्त दशरथ र पटेल तथा अशोक पाहूजा आदि से मिल कर षडयंत्र करने लगे तथा इसके लिए बहुत सारा रुपया भी प्रार्थिनी के पिता ने उपरोक्त लोगों से ले लिया।

दिनांक 6-4-98 को कम्पिल स्थित आश्रम पर प्राण गोपाल वर्मन व उसके साथियों ने झगड़ा किया जिसके फलस्वरूप थाना कम्पिल पुलिस द्वारा प्राण गोपाल वर्मन तथा उसके साथियों के विरुद्ध धारा 107/116 द०प्र०सं० की कार्यवाही की गयी लेकिन इस पर भी अभियुक्त प्राण गोपाल वर्मन संतुष्ट नहीं हुआ और यह जानते हुए भी कि प्रार्थिनी की जन्म तिथि 13-2-76 है और प्रार्थिनी श्यामनगर जवाहरलाल नेहरू स्मृति विद्या मंदिर श्यामनगर नार्थ 24 परगनाज की विद्यार्थी रही है। फिर भी एक झूठा शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र।

[illegible] -3

न्यायालय उप जिला मजिस्टेट कायमगंज के समक्ष प्रस्तुत किया और प्रार्थिनी का सर्च वारंट निकलवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया । शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र मे प्राण गोपाल वर्मन द्वारा प्रार्थिनी को नाबालिग बताया गया । न्यायालय को गुमराह करके प्रार्थिनी का सर्च वारंट निकलवाया गया । दिनांक 7-4-98 को प्रार्थिनी गिरफ्तार होकर उप जिला मजिस्टेट कायमगंज के समक्ष प्रस्तुत हुई तथा उसने उप जिला मजिस्टेट कायमगंज को अपना शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र दिया लेकिन प्राण गोपाल वर्मन द्वारा जानबूझ कर अपना ब्यान झूठा उप जिला मजिस्टेट कायमगंज के समक्ष दिया और उस ब्यान मे प्रार्थिनी को फिर नाबालिग बताया और यह झूठे ब्यान के आधार पर प्रार्थिनी को नारी निकेतन इटावा भेज दिया गया । और उप जिला मजिस्टेट कायमगंज ने प्राण गोपाल वर्मन द्वारा दिये गये झूठे ब्यान के आधार पर प्रार्थिनी का चिकित्सीय परीक्षण कराने का निर्देश दिया । जिसमे प्रार्थिनी की उम्र 19 वर्ष के करीब पायी गयी । और प्राण गोपाल वर्मन का यह ब्यान झूठा साबित हुआ ।

प्राण गोपाल वर्मन अभियुक्त इससे भी संतुष्ट नही हुए उन्होने अभियुक्त डा0 जे0 विश्वास से मिल कर प्रार्थिनी का एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र न्यायालय उप जिला मजिस्टेट कायमगंज के समक्ष प्रस्तुत किया और उस सर्टीफिकेट मे तथा सर्टीफिकेट के साथ दाखिल किए गये संलग्न शपथ पत्र मे यह दर्शाया कि प्रार्थिनी नाबालिग है और उसका जन्म प्रमाण पत्र दाखिल करने वाले डाक्टर के अस्पताल मे हुआ था और इस जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थिनी नाबालिग है। यह फर्जी प्रमाण पत्र प्राण गोपाल वर्मन ने जानबूझ कर तैयार कराया और प्रमाण पत्र को दाखिल करके प्राण गोपाल वर्मन ने न्यायालय को गुमराह किया और न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य किया कि प्रार्थिनी नाबालिग है । तथा प्रार्थिनी को नारी निकेतन मे रखा जावे ।

(6)

प्रार्थिनी की पुत्री संध्या दुबे ने भी उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष प्राण गोपाल वर्मन द्वारा की गयी इस जालसाजी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की लेकिन प्राण गोपाल वर्मन द्वारा पुनः अपने द्वारा की गयी जालसाजी को सही बता कर न्यायालय को फिर गुमराह किया और प्रार्थिनी को नारी निकेतन मे रहने को बाध्य किया और कहा कि अगर प्रार्थिनी उसकी बात नही मानेगी तो प्रार्थिनी को जिन्दगी भर जेल मे सड़ा दिया जायेगा ।

प्रार्थिनी ने 28-4-98 को जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को प्रार्थना पत्र दिया इससे पूर्व 16-4-98 को उप जिला मजिस्ट्रेट कायमगंज को धारा 340 द० प्र०सं० के अन्तर्गत इस जालसाजी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही नही की गयी । और न ही प्रार्थिनी को उप जिला मजिस्ट्रेट कायमगंज द्वारा मुक्त किया गया । क्योकि प्राण गोपाल वर्मन अभियुक्त किसी न किसी बहाने तथा कोई न कोई कागज दाखिल करने के बहाने तारीख बढ़वा लेता था । तब प्रार्थिनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे याचिका दाखिल की गयी और उस याचिका मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश जारित करने के बाद प्रार्थिनी न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट कायमगंज द्वारा मुक्त की गयी ।

अभियुक्तगण ने जानबूझ कर प्रार्थिनी का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना कर उप जिला मजिस्ट्रेट कायमगंज मे दाखिल किया और उप जिला मजिस्ट्रेट कायमगंज के समक्ष फर्जी बयान दिये । जिसके आधार पर अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय को गुमराह किया गया । जिसका सम्पूर्ण साक्ष्य प्रार्थिनी के पास तथा संबंधित पत्रावली में उपलब्ध है। जिसका निस्तारण श्रीमान जी द्वारा संभव है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थिनी से साक्ष्य लेकर अभियुक्तगणों को दंडित करने की कृपा करे ।

प्रार्थिनी

कौशिकावर्मन पत्नी प्राणगोपाल वर्मन नि० आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद ।

दिनांक

प्रमाणित प्रतिलिपि
6/11/04

223

मोलिगी

केवल नकल की फीस लिखिए

A.K. Sharma (Adv)

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
31 30/10-04 [signature]	6 NOV 04	9-11-04	[signature] 9-11-04

A.K. Sharma (Adv)

3/150

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

कोनिका वर्मन बनाम प्राणगोपाल वर्मन

26.10.98

यह परिवाद कोनिका वर्मन ने विपक्षीगण के विरु. अन्तर्गत धारा 467, 468, 471, 182, 193, 120बी भा0द0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में विचारण करने हेतु सम्मन करने एवं दण्डित करने हेतु दिनांक 7.7.98 को प्रस्तुत किया। अपने कथन की पुष्टि में स्वयं को अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. तथा साक्षीगण राजकुमारी, शोभा माता, पुष्पावती शर्मा, श्रीमती सन्ध्या, को अन्तर्गत धारा 202 द.प्र.सं. परीक्षित किया तथा एस.डी.एम. कायमगंज के कार्यालय से धारा 97/98 द.प्र.सं. थाना कम्पिल सरकार बनाम कोनिका वर्मन की पत्रावली तलब करायी। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से एस.सी.सी. (क्रि0) 1998 पेज 60 पर पारित प्रतिपादित सिद्धान्त की छायाप्रति दाखिल की।

मैंने परिवाद पत्र पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तलबिदा पत्रावली संख्या 142/98 धारा 97/98 द.प्र.सं. सरकार बनाम कोनिका वर्मन थाना कम्पिल का अवलोकन किया तथा आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

तलबिदा पत्रावली के अवलोकन से तथा परिवाद पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 एवं 202 द.प्र0सं0 के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रथम दृष्टया विपक्षीगण ने अन्तर्गत धारा 467, 468, 471, 182, 193, 120बी भा0 द0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है। अतः विपक्षीगण के विरुद्ध उपरोक्त धारान्तर्गत अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाता है। विपक्षीगण को जरिए सम्मन दिनांक 3/12/98 के लिए तलब किया जाय। पैरवी अन्दर तीन दिन की जाय।

आर0एल0 [illegible]
स0जे0एम0, फर्रुखाबाद
26.10.98

पी.पी. के कोनिका वर्मन

प्रमाणित प्रतिलिपि
6/11/04